

अति अल्पकालीन पुनानिलामी सूचना संख्या-03 वर्ष 2024-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के औद्योगिक क्षेत्र डेहरी ऑन सोन परिसर में पूर्व से निर्मित क्षतिग्रस्त ओवरहेड पानी की टंकी को तोड़कर सभी तरह के उपयोगी एवं अन्य उपयोगी मलवा इत्यादि को स्थल से पूर्ण रूप से हटाने/ले जाने हेतु जहाँ है जैसा है के आधार पर पुनानिलामी हेतु मुहर बंद दर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार पटना में दिनांक 26.06.2024 को 3.00 बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। निलामी के लिए जमानत की राशि राष्ट्रीय कृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो BIADA, Patna के नाम से देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

निलामी की प्रक्रिया दिनांक- 26.06.2024 को 4.00 बजे अपराह्न में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना -800004 में निलामी दाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा। निलामी की न्यूनतम राशि एवं अन्य विवरणी नीचे अंकित तालिका के अनुरूप होगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	निलामी हेतु न्यूनतम मूल्य(रूपये में)	अग्रधन की राशि (निलामी का न्यूनतम मूल्य का 10 प्रतिशत रूपये में)	निलामी से संबंधित प्रपत्र मूल्य (रूपये में)	निलामी में भाग लेने हेतु पात्र व्यक्ति	कार्य समाप्ति की अवधि (दिनों में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	औद्योगिक क्षेत्र डेहरी ऑन सोन परिसर में पूर्व से निर्मित क्षतिग्रस्त ओवरहेड पानी की टंकी को तोड़ने का काम	7,50,000/- + GST	75,000/-	5000/-	1. कार्यपालक दंडाधिकारी / नोटरी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र। 2. जी०एस०टी० पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 3. पैन कार्ड की छायाप्रति। 4. निलामी प्रपत्र जिसपर निलामी दाता का हस्ताक्षर हो। 5. 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा कराने की रसीद।	30 दिन

शर्त:-

- निलामी जहाँ है जैसा है, के आधार पर किया जायेगा।
- निलामी दाता के द्वारा एकल लिफाफा में वित्तीय एवं तकनीकी कागजात समर्पित किया जाना होगा।
- निलामी हेतु इच्छुक अनुभवी व्यक्ति/निलामी दाताओं को अपने आवेदन के साथ अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो एवं BIADA, Patna के नाम से भुगतान हो तथा एक शपथ-पत्र जो निलामी आमंत्रण की तिथि के बाद का हो, जिसमें यह वर्णित होना चाहिए की इस नाम से बिहार सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में इस तरह का कार्य लंबित नहीं है। निलामी की तिथि दिनांक-26.06.2024 को 3.00 बजे अपराह्न तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निलामी में भाग लेने से बंचित कर दिया जायेगा।
- निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र कार्यपालक दंडाधिकारी/नोटरी द्वारा निर्गत होए जिसे निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है -
(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), निलंबित और काली सूची (Black list), में नामित नहीं किया गया है।
(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल इत्यादि के रूप में कार्यरत नहीं है।

- (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
 (ड.) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- उच्चतम नीलामी दाता को शेष राशि का 100% तीन कार्य दिवस के अंदर बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा जो BIADA, Patna के नाम से निर्गत हो, जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उन्हें नीलामी से बाहर कर उनके जमानत की राशि जब्त करते हुए अन्य नीलामी दाता के बीच नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जायेगी।
 - नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को कार्य आवंटित किया जाएगा।
 - नीलामी के पश्चात निर्गत कायदेश के अनुसार ओवरहेड पानी की टंकी को पूर्ण रूपेण तोड़कर उपयोगी/अनुपयोगी सामग्रियों को स्थल प्रभारी के अभिरक्षा में भवन परिसर को साफ कर उपलब्ध कराना होगा। विलंब की स्थिति में प्रथम सप्ताह के लिए प्रत्येक दिन 2000.00 दो हजार रू० मात्र की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा तथा विलम्ब अवधि 10 दिन मान्य होगा। इसके पश्चात भी कार्य संपादित नहीं होने पर प्राधिकार द्वारा कार्य संपन्न करा दिया जायेगा और जमा की गई राशि जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
 - टूटे हुए उपयोगी/अनुपयोगी सामग्रियों को कार्य स्थल पर से हटा कर ले जाना नीलामी दाता की जिम्मेदारी होगी जिसके लिए अतिरिक्त दुलाई देय नहीं होगा। उक्त पुराने क्षतिग्रस्त/परित्यक्त ओवरहेड पानी की टंकी को तोड़ने के क्रम में नीलामी दाता द्वारा सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाएगी एवं किसी भी दुर्घटना होने पर इसकी पूर्ण जबाबदेही नीलामी दाता की होगी।
 - सक्षम प्राधिकार को बिना कारण बताये नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। परिस्थिति अन्य उत्पन्न स्थिति के अनुसार नीलामी के संदर्भ में अलग से भी आवश्यकतानुसार विशेष शर्त लागू करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
 - पूर्व में सफलीभूत बोलीकर्ता जो समय पर राशि/कार्य सम्पादित नहीं किए है उन्हें नीलामी में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
 - पुलिस अधीक्षक से अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा इसकी मूल प्रति साथ में रखनी होगी, अन्यथा नीलामी में भाग लेने से वंचित होंगे।
 - ओवरहेड पानी की टंकी ध्वस्तीकरण के क्रम में अन्य इकाइयों/उद्यमियों को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति सम्बंधित नीलामी दाता के द्वारा की किया जायेगा।
 - ओवरहेड पानी की टंकी ध्वस्तीकरण हेतु किसी विस्फोटक का उपयोग नहीं किया जाना है।
 - विशेष जानकारी हेतु अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है। या प्राधिकार की वेबसाईट www.biadabihar.in देखें।

ह0/-
 उप-महाप्रबंधक (तकनीकी)
 बियाडा, पटना।

ज्ञापक 3442/Rech.

दिनांक 13/06/24

प्रतिलिपि: कार्यकारी निदेशक (परियोजना)/प्राधिकार के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित/बियाडा वेबसाईट पर प्रकाशन के लिए आई.टी. शाखा को प्रेषित/प्रभारी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बियाडा कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप-महाप्रबंधक (तकनीकी)
 बियाडा, पटना।